20/1/15

[illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 14:45:26 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर
जिला प्रतापगढ़

डिकरी व मुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20 रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix"D"-1)
अज अदालत सहायक कलक्टर नदबई
व इजलास श्री गंगाधर मीना ,आर.ए.एस

मु0 उनवान ओमप्रकाश बनाम अनिल वगै0

दावा बाबत् 53,188 रा0का0 अधिनियम

मुकदमा नंबर 64/2024

यह मुदकमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू ......– व हाजरी वादी मिनजानिब मुद्दढ व .... मिनजानिब मुद्दालय पेश होकर , हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

वादी के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में वाद का अन्तिम निर्णय किया जाता है कि हाल आराजी खसरा नम्बर. 114, 118, 251, 277, 363, 375, 41, 42, 45, 543, 75, 78, 785, 835, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 89, 917. वाके ग्राम शाहपुर तहसील नदबई में स्थित है। पर वादी व प्रतिवादी को कुर्राजात प्रस्ताव दिनांक 28.10.2024 के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। कुर्राजात प्रस्ताव दिनांक 28.10.2024 (प्रदर्श–अ) के अनुसार वादी व प्रतिवादी के नाम पृथक से खाता विभाजन कर लगान कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। कुर्राजात प्रस्ताव 28.10.2024 प्रदर्श–"अ" इस निर्णय व अन्तिम डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार नदबई रिकॉर्ड में अमल तरमीम करावें। एक दूसरे को मिलने वाले खसरे/कब्जे काश्त /हक अधिकार में, किसी तरह की दखल मजामहत, किसी भी रूप में, किसी भी माध्यम से, न करें, न करावें। रहन यदि कोई हो तो संबंधित खातेदार को प्राप्त होने वाले खसरे/रकवे/हिस्से के विरूद्ध दर्ज किया जावे। लगान आनुपातिक कायम करें।

बैज – मुबलिग – – – – – – – बावत – – – – – – – – – – खर्चा इस मुकदमें के मयसुद व शरह ———————फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख व सुलयाबी तक —————— की अदा करें ।

ह दसब्त व मुहर अदालत के आज तारीख 20.01.2025 को जारी की गई ।

मुहर

दस्तखत—— 20/01/25
सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दालय	रूपया	पैसा
स्टाम्प अराजी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमीश्नर			बवत इजराय हुक्मनांमा		
बावत इजराय हुक्म नामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 14:45:26 IST
Reason: SelfAttested

1. ओमप्रकाश पुत्र देवीसिंह जाति जाट निवासी शाहापुर तहसील नदबई(भरतपुर)

वादी

बनाम

1. अनिल पुत्र देवीसिंह जाति जाट निवासी शाहापुर तहसील नदबई(भरतपुर)
2. चनद्रकलां पत्नि देवीसिंह जाति जाट निवासी शाहापुर तहसील नदबई(भरतपुर)
3. शत्रुधन पुत्र देवीसिंह जाति जाट निवासी शाहापुर तहसील नदबई(भरतपुर)
4. सत्यदेव पुत्र देवीसिंह जाति जाट निवासी शाहापुर तहसील नदबई(भरतपुर)
5. उदयसिंह पुत्र सुगड़सिंह जाति जाट निवासी शाहापुर तहसील नदबई(भरतपुर)
6. गिर्राजसिंह पुत्र सुगड़सिंह जाति जाट निवासी शाहापुर तहसील नदबई(भरतपुर)
7. देवीराम पुत्र सुगड़सिंह जाति जाट निवासी शाहापुर तहसील नदबई(भरतपुर)
8. बलवीरसिंह पुत्र सुगड़सिंह जाति जाट निवासी शाहापुर तहसील नदबई(भरतपुर)
9. महावीरसिंह पुत्र सुगड़सिंह जाति जाट निवासी शाहापुर तहसील नदबई(भरतपुर)
10. राज. सरकार जरिये तहसीलदार नदबई
11. सब रजिस्ट्रार लखनपुर
12. स्टेट बैंक शाखा नदबई
13. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा कुम्हेर गेट भरतपुर

प्रतिवादीगण

20/01/25

सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 14:45:26 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण ...
जी.सी.ए...
किस्म ...
निर्णय ...

न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री गंगाधर मीना R.A.S.)

प्रकरण सं. 64/2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2024/79
किस्म दावा अंतर्गत धारा 53, 188 आरटीए
निर्णय दिनांक 20.01.2025

1. ओमप्रकाश पुत्र देवीसिंह जाति जाट निवासी शाहापुर तहसील नदबई(भरतपुर)

वादी

बनाम

1. अनिल पुत्र देवीसिंह जाति जाट निवासी शाहापुर तहसील नदबई(भरतपुर)
2. चनद्रकलां पत्नि देवीसिंह जाति जाट निवासी शाहापुर तहसील नदबई(भरतपुर)
3. शत्रुधन पुत्र देवीसिंह जाति जाट निवासी शाहापुर तहसील नदबई(भरतपुर)
4. सत्यदेव पुत्र देवीसिंह जाति जाट निवासी शाहापुर तहसील नदबई(भरतपुर)
5. उदयसिंह पुत्र सुगड़सिंह जाति जाट निवासी शाहापुर तहसील नदबई(भरतपुर)
6. गिर्राजसिंह पुत्र सुगड़सिंह जाति जाट निवासी शाहापुर तहसील नदबई(भरतपुर)
7. देवीराम पुत्र सुगड़सिंह जाति जाट निवासी शाहापुर तहसील नदबई(भरतपुर)
8. बलवीरसिंह पुत्र सुगड़सिंह जाति जाट निवासी शाहापुर तहसील नदबई(भरतपुर)
9. महावीरसिंह पुत्र सुगड़सिंह जाति जाट निवासी शाहापुर तहसील नदबई(भरतपुर)
10. राज. सरकार जरिये तहसीलदार नदबई
11. सब रजिस्ट्रार लखनपुर
12. स्टेट बैंक शाखा नदबई
13. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा कुम्हेर गेट

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 14:45:26 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादीगण

20/01/25

उपस्थित श्री जितेन्द्र गौड़ एड.(वादी की ओर से)

श्री ओमप्रकाश एड (प्रतिवादीगण की ओर से)

निर्णय दावा अंतर्गत धारा 53, 188 आर.टी.ए

1. यह कि हाल आराजी खसरा नम्बर. 114, 118, 251, 277, 363, 375, 41, 42, 45, 543, 75, 78, 785, 835, 850, 851 852, 853, 854, 855, 89, 917. वाके ग्राम शाहपुर तहसील नदबई में स्थित है। उक्त आराजी पर वादी एवं प्रतिवादी मनवट अनुसार काबिज काश्त है। आराजी सहखातेदारी काश्तकारी की है। विवादित आराजी का अभी कानूनी रूप से बटवारा नही हुआ है मौके पर मनवट अनुसार काबिज काश्त है।
2. यह कि विवादित आराजी वाके ग्राम शाहापुर पर वादी एवं प्रतिवादीगण सम्मिलित काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। परन्तु प्रतिवादी के मन में बदयंति आ गई है। आराजी को रहन मुनतकिल करने पर आमादा है।
3. विवादित आराजी वादी एवं प्रति के मध्य अच्छी मे से अच्छी व बुरी मे से बुरी आराजी के कुरेजात कायम कर पृथक–पृथक लगान कायम काराने के अधिकारी है। व ख.न. 414 रकवा 0.38 व 415 में प्रतिवादी स. 1 व प्रतिवादी स. 4 लगायत 25 के बीच राजस्व रिकॉर्ड के अधार पर अच्छी व बुरी मे से बुरी आराजी के कुरेजात कायम कर पृथक–पृथक लगान कायम काराने के अधिकारी है।
4. अन्त में प्रार्थना है कि मद सं. 2 की आराजी के कुरेजात कायम कर अलग–अलग खाता लगान कायम किया जावे एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वह वादी के हिस्से में मदाखलत मजामहत नहीं करें, रहनवयमुन्तकिल नहीं करें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी स. 4 की और से श्री ओमप्रकाश पराशर एण्ड़ व प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 8 की और से श्री रामकिशन पूनिया एडवोकेट उपस्थित हुए तथा प्रतिवादी स. 14 की ओर से श्री देवकीनदन एण्ड़वोकेट उपस्थित हुऐ। शेषप्रतिगणो के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 8 व 14 की ओर से जबाव दावा पेश नही किया गया ।

उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागणों की बहस बाद प्रारंभिक डिक्री किये जाने बाबत सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वाद में प्रारंभिक डिक्री दिनांक 03.09.2024 को किया जाकर वादपत्र में वर्णित आराजियात की बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर कुरेजात बनाए जाने हेतु तहसीलदार नदबई को आदेशित किया गया तथा तहसीलदार नदबई को बाई मीट्स एण्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 14:45:26 IST
Reason: SelfAttested

20/1/25

बाउण्डस के आधार पर तथा राजस्व मण्डल अजमेर के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए विभाजन प्रस्ताव मंगवाए जाने हेतु न्यायालय द्वारा आदेश पारित किए गए। तहसीलदार नदबई द्वारा न्यायालय के आदेश क्रमांक 2053 दिनांक 04.10.2024 की अनुपालना में विभाजन प्रस्ताव बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर एवं राजस्व मण्डल अजमेर के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए कुरेजात प्रस्ताव दिनांक 28.10.2024 जरिए पत्रांक एलआर/24/6116 दिनांक 09.12.2024 से भिजवाए गए। एवं कुरेजात प्रस्ताव पर बहस हेतु पत्रावली नियत की गई। प्रतिवादी स. 4 सत्यदेव की और से कुर्रा आपर्ति प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जिसका जबाब वादी/अप्रार्थी द्वारा पेश किया गया।

हमने उभयपक्षकारान के अधिवक्तागणों की बहस आपत्ति कुर्रा रिपोर्ट सुनी गई। वकील प्रार्थी आपर्ति कर्ता द्वारा बहस दौरान निवेदन किया कि मेरे पक्षकरा को बीना सूचना देते हुऐ कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कि गई है ख.न. 853, 854 वादी ने लिऐ है तथा दूर–दूर खसरा नम्बर हमे दिये गये है। तथा कुर्रा नम्बर 3 सभी कि खातेदारी में रखा गया है। वादी के अलावा किसी को सूचना नही दी गई है ना ही मौके पर जाकर कुर्रा रिपोर्ट तैयार कि गई है। कुर्रारिपोर्ट में राजस्व मण्ड़ल के नियम 18 से 21 की पालना ना करते हुऐ कुर्रा रिपोर्ट बनाई गयी है। कुर्राजात रिपोर्ट मौका के अनुरूप पेश नही कि गई। कुर्रा रिपोर्ट मौके के विपरीत बनाई गई है। अतः कुर्रा रिपोर्ट पुनः मंगवाई जावे।

वादी/अप्रार्थी वकील के कथन है कि कुर्रा रिपोर्अ मौके पर जाकर पक्षकार को सूचित करते हुऐ मौके पर जाकर बनाई बयी है तथा पक्षकारों को नोटिस जारी किये गये है। कुरे हिसेनुसार बनाये गये है अ‍ण व्यकित के अलावा अन्य किसी पक्षकार को काई आपति नही है कुर्रा रिपोर्ट राजस्व मण्ड़ल के नियम 18 से 21 की पालना करते हुऐ कुर्रा रिपोर्ट बनाई गयी है। इनकी आपर्ति खारिज कि जाकर दावा कुर्रा रिपोर्ट अनुसार किया जावें!

हमने उभयपक्षकारान की विद्वान अधिवक्तागणों की बहस आपत्ति कुर्रा रिपोर्ट सुनी गई, तथा उभयपक्षकरान के वकीलो द्वारा दावा मुताबिक कुर्रा रिपोर्ट अनुसार किये जाने का निवेदन किया गया बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध कुरेजात प्रस्ताव का अवलोकन किया गया तो पाया कि तहसीलदार नदबई द्वारा जो कुर्रेजात प्रस्ताव दिनांक कुरेजात प्रस्ताव दिनांक 28.10.2024 जरिए पत्रांक एलआर/24/6116 दिनांक 09.12.2024 से भिजवाए का अवलोकन किया तो पाया कि कुरेजात प्रस्ताव मौके पर जाकर प[illegible] तलब [illegible]कारान की उपस्थिति में राजस्व मण्डल अजमेर के नियम 18 से 21 की प[illegible] क[illegible] हुए तथा कब्जेकाश्त को ध्यान में रखते हुए मौके के अ[illegible] तैयार कर भिजवा[illegible] है। अतः वाद मुताबिक कुर्रारिपोर्ट अनुसार किया जा[illegible] आपत्ति कुरेजात प्रस्ताव खारिज किया जाकर मुताबिक [illegible] 28.10.2024 के अनुसार ही डिक्री किया जाना उचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 14:45:26 IST
Reason: SelfAttested

20/1/25

::आदेश::–

अतः आदेश है कि वादी के दावे को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में वाद का अन्तिम निर्णय किया जाता है कि हाल आराजी खसरा नम्बर. 114, 118, 251, 277, 363, 375, 41, 42, 45, 543, 75, 78, 785, 835, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 89, 917. वाके ग्राम शाहपुर तहसील नदबई में स्थित है। पर वादी व प्रतिवादी को कुर्राजात प्रस्ताव दिनांक 28.10.2024 के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। कुर्राजात प्रस्ताव दिनांक 28.10.2024 (प्रदर्श–अ) के अनुसार वादी व प्रतिवादी के नाम पृथक से खाता विभाजन कर लगान कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। कुर्राजात प्रस्ताव 28.10.2024 प्रदर्श–"अ" इस निर्णय व अन्तिम डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार नदबई रिकॉर्ड में अमल तरमीम करावें। एक दूसरे को मिलने वाले खसरे/कब्जे/काश्त /हक अधिकार में, किसी तरह की दखल मजामहत, किसी भी रूप में, किसी भी माध्यम से, न करें, न करावें। रहन यदि कोई हो तो संबंधित खातेदार को प्राप्त होने वाले खसरे/रकवे/हिस्से के विरूद्ध दर्ज किया जावे। लगान आनुपातिक कायम करें।

निर्णय आज दिनांक ....20.01.25.... को खुले न्यायालय में लिखया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सत्यमेव जयते

20/01/25

(गंगाधर मीना R.A.S.)

सहायक कलक्टर

सहायक कलक्टर नदबई

नदबई जिला भरतपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 14:45:26 IST
Reason: SelfAttested